13

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4117-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 4-11-2016 - पारित व्दारा - नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड - प्रकरण क्रमांक 8 अ-27/2015-16

राजबहादुर सिंह पुत्र जोरवर सिंह भदौरिया
ग्राम गढ़ी हरीछा तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड कृषक ग्राम सुहास,
परगना गोहद जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

सोबरन सिंह पुत्र जोरबर सिंह भदौरिया
ग्राम गढ़ी हरीछा तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड कृषक ग्राम सुहास,
परगना गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सी.एम.गुप्ता)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

आ दे श
(आज दिनांक 06 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 8 /2015-16 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-11-2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक एंव अनावेदक के बीच ग्राम सुहास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 875 रकबा 0.71 है. के बटवारे का प्रकरण क्रमांक

8 /2015-16 अ-27 नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में पॅजीबद्व हुआ। सुनवाई के दौरान आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता धारा 11 नियम 12 , 14, 15 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई के आवेदक एंव अनावेदक के बीच पारिवारिक बटवारा पूर्व में हो चुका है जिसमें यह भूमि आवेदक को प्राप्त हुई है जिस पर काविज होकर खेती कर रहा है। पुष्टिकरण में पारिवारिक बटवारे की लिखतम की छायाप्रति पेश की गई जो अपठनीय थी। नायव तहसीलदार ने इस आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 4-11-16 पारित किया तथा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता धारा 11 नियम 12 , 14, 15 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया तथा पटवारी व्दारा मौके पर स्वत्व व कब्जे के मान से प्रस्तुत फर्द पर अंतिम आदेश हेतु प्रकरण नियत कर दिया। नायव तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 8 /2015-16 अ-27 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 17 पर तथाकथित घरेलू बटवारे की छायाप्रति संलग्न है । यह सही है कि यह प्रति छायाप्रति होने से अपठनीय है किन्तु नायव तहसीलदार का दायित्व है कि वह आपत्तिकर्ता से मूल प्रति मॅगाकर तदाशय का सत्यापन लेते, किन्तु उनके व्दारा ऐसा न करते हुये व्यवहार प्रकिया संहिता धारा 11 नियम 12 , 14, 15 का आवेदन निरस्त करने में भूल की है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 4-11-2016 से व्यवहार प्रकिया संहिता धारा 11 नियम 12 , 14, 15 का आवेदन निरस्त करते हुये प्रकरण पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द पर तर्क हेतु नियत कर दिया, यदि व्यवहार प्रकिया संहिता धारा 11 नियम 12 , 14, 15 के

आवेदन के साथ घरेलू बटवारे की फर्द अपठनीय छायाप्रति के रूप में प्रस्तुत हुई थी, तब उस पर मौजूद साक्षीगण के कथन लेकर भी तदाशय का पुष्टिकरण लिया जा सकता था एंव दोनों पक्षों को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना था, जो उनके व्दारा नहीं दिया गया है जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बनाये गये बटवारा नियमों के विपरीत है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 8 /2015-16 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-11-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण वापिस कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त विवेचना में आये तथ्यों के प्रकाश में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर